बैंक मित्र/बी०सी०ए० उप-संस्था अनुबंध

	•	<u> </u>
श्रीमान / श्रीमती / कुमारी		
गांव / वार्ड	तहसील / तालुका	जिला
स्टेट	पिनकोड	प्रभावी तिथि
मोबाइल नं0	पैन नं0	बी०सी०ए० / आई०डी०
बैंक	ब्रांच	बैंक मित्र लोकेषन
बचत खाता संख्या कंमीषन हेतु	आई0एफ0सी0कोड	खाता संख्या
ओवरड्राफ्ट खाता संख्या कंमीषन हेतु	आई०एफ०सी०कोड	खाता संख्या

बीसी इस बैं मध्य होगा।	क मित्र उप-एजेंसी (बाद में इसे अनुबन्ध के रूप में संदर्भित) को निष्पादित किया जाता है जोकि इनके
इस दिन	माह का दिन बीसीए 20
इंटेग्रा माइक्र	ो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U72200KA1982PTC011338), एक कंपनी के तहत निगमित
कंपनी अधिर्व	नियम, 1956 के प्रावधान जी -5, स्विस कॉम्प्लेक्स, 33, रेस कोर्स रोड में अपना पंजीकृत कार्यालय हैं
बैंगलोर - 5	60001, इसके बाद "कंपनी" के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो तब तक घोषित रहेगी। जब तक कि
इसके संदर्भ	के लिए प्रतिकूल नहीं हो।
इसके सहाय	क, शाखाएं, सहयोगी, सहयोगी कंपनियां, उत्तराधिकारी कार्यालय में शामिल हैं और पहले भाग में समय-
समय पर सृ	पुर्द / सौपे जाने की अनुमति होगी।
तथा	
श्री / श्रीमत	गी। / कुमारी, आ यु वर्ष
	ो) पुत्र / पति / पत्नी / श्री / श्रीमती की बेटी
स्थायी रूप	से
निवासी	
व्यापार आउ	टलेट
	, के अब से "सेवा प्रदाता", उसके / उसके कानूनी उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी और दूसरे
भाग के सम	य-समय पर सुपुर्द किए जाने की अनुमति है।
उपरोक्त पार्टि	यों को व्यक्तिगत रूप से "पार्टी" और सामूहिक रूप से "पार्टियों" के रूप में संदर्भित किया जाता है।
जहाँ तक,	
, ,	राष्ट्रीय वितीय समावेशन (एफआई) कार्यक्रम के तहत कई बैंकों को अन्य विषयों के साथ प्रौद्योगिकी
	और सेवाएं प्रदान करती है
	ने एक अनुबन्ध किया है, इसके बाद " अनुबन्ध " के रूप में संदर्भित किया जाता है, यह अनुबन्ध के साथ
	जिस के तहत एक निकाय कॉर्पोरेट का गठन अधिनियम के अर्न्तगत किया गया। इसका प्रधान कार्यालय
14,41	निर्देश के राहित रचन विवयं चर्याचार चन निर्देश सामा विवाद के स्त्री विवयं विवयं विवयं विवयं विवयं विवयं विवयं
ا م	
	बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि इसके उत्तराधिकारी और अधिकारी
-	ं होंगे, व्यवसाय पत्राचार सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशासक, संम्पति भागी, कर्मचारी, एजेंट और वकील
आदि)	

- जोकि ("BC Services") बैंक के ग्राहकों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी के रूप में कार्य करेगी बीसी सेवाओं के उद्देश्य के लिए बैंक की एजेंट। की तरह कार्य करेगी।
- C .सेवा प्रदाता एक बीसीए एजेंट (बीसीए/बैंक मित्र) के रूप में समानीकृत या मनोनयन होना चाहता है बैंक के ग्राहकों को तदनुसार बैंक के उप-एजेंट के रूप में अंतिम-मील तक बीसी सेवा की पेशकश करना चाहता है जोिक धारा B के साथ, पृष्ठ सं। 27, 1 जुलाई 2014 की आरबीआई अधिसूचना। बीसीए द्वारा पेश की गई बीसी सेवाओं में शामिल हैं-
 - बैंक खाते खोलने, लघु मूल्य के नकद जमा, लघु मूल्य के नकद निकासी, लघु मूल्य धनराशि के हस्तांतरण, संवितरण, संग्रह,बैलेंस पूछताछ और मिनी स्टेटमेंट, सीडिंग, बीमा और पेंशन उत्पादों की बिक्री, बिल भुगतान,जमा / बचत / क्रेडिट जुटाना, और व्यापार सुविधा कार्यों जैसे कि वसूली और क्रेडिट लीड भविष्य में बैंक के ग्राहकों के लिए अन्य सेवाओं को जोड़ने की सम्भांवनाए है। बीसीए में कार्य प्रणाली एक स्थान, बहुत बार एक ग्रामीण क्षेत्र में जिसमें एक या एक से अधिक गाँव शामिल हो सकते हैं, जहाँ बैंक की शाखा, संम्भव नहीं है, और आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए प्रौचोगिकी के उपयोग पर निर्भर बीसीए अनिवार्य रूप से बीसी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक उधमकर्ता के रूप में कार्य करता है।
- D. सेवा प्रदाता ने एक भरा-भरा प्रोफाइल जमा किया है, जो इस समझौते और गठन के लिए संलग्न है बीसीए
 के रूप में कार्य करने के लिए सेवा प्रदाता के आषय के समर्थन में विवरण प्रदान करता है।
- E कंपनी सेवा प्रदाता को सामाजिक नेतृत्व, भौगोलिक और जनसांख्यिकीय के रूप में वर्तमान स्थान का ज्ञान, व्यापार कौशल और लोगों को बातचीत में अनुभव आदि को पहचानती है। सेवा प्रदाता द्वारा पेश किए गए गैर-अनन्य व्यवसाय आउटलेट के स्थान का लाभ कंपनी पहचानती है नतीजतन, कंपनी, बीसी स्थान में बैंक के लिए बीसीए के रूप में सेवा प्रदाता, को अवसर प्रदान करने के लिए सहमत है जैसा कि प्रस्तावना ("बीसी स्थान") में कहा गया है भारतीय रिज़र्व बैंक के उप-एजेंट मॉडल द्वारा परिभाषित बीसी सेवाओं को वितरित करेगा जिसमे प्रधानमन्त्री भारत सरकार की/प्रधानमन्त्री जन-धन योजना ("पीएमजेडीवाई") और बैंक की अन्य योजनाएँ शामिल है।
- F. सेवा प्रदाता एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास एक अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में BC सेवाओं के साथ मौजूदा व्यवसाय है, या एक **उद्यमी** है जो बीसीए सेवा प्रदान करने के लिए बीसीए व्यवसाय में निवेश करने का इरादा रखता है।
- G. बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ("बीसी") व्यवसाय एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें सरकार, बैंक, प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता और / या कॉर्पोरेट बीसीए जैसे कंपनी, बीसीए और अन्य संबंधित संस्थाओं को प्रौद्योगिकी में बदलाव के साथ और नीतियों में बदलाव के साथ अक्सर व्यवहार करना पड़ता है सरकारी निकाय और बैंक दोनों पक्ष इस विकसित क्षेत्र से जुड़े जोखिमों से पूरी तरह अवगत हैं और उसी को स्वीकार करना है।
- H .सेवा प्रदाता को कंपनी और बैंक द्वारा बीसीए के रूप में सिद्धांत रूप में स्वीकार किया गया है, प्रस्तावना में कहा गया है कि आवश्यक कमीशन और निपटान खाते (ओवरड्राफ्ट खाता) को खोला गया। अब अनुबंध का प्रस्ताव इस प्रकार है—

1. सेवा प्रदाता का मनोनयन

a. सेवा प्रदाता ने कंपनी का प्रतिनिधित्व किया है कि वह बीसी लोकेषन पर बीसी सेवा प्रदान करने के लिए है ग्राहक सेवा बिंदु ("सीएसपी / बीसी आउटलेट) के रूप में अपने स्वयं के / पट्टे पर परिसर का उपयोग कर स्थान जैसा कि निर्देषिका में निदिष्ट है। सेवा प्रदाता कंपनी और बैंक को तुरंत सूचित करेगा यदि बीसी आउटलेट के पते में कोई बीसीए बदलाव होता है इस अनुबंध के अर्न्तगत सेवा प्रदाता के पास आवश्यक कौशल, विशेषज्ञता, बैंक के ग्राहकों को बीसी सेवा प्रदाता करने के लिए बुनियादी ढाँचा और वित्तीय क्षमता बैंक और कंपनी द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न अन्य कार्य सेवा प्रदाता द्वारा बीसीए के रूप में बैंक के लिए बीसी सेवाओं को अंजाम दिया जाता है बैंक द्वारा आवष्यक सत्यापन और अनुमोदन मनोनीत इस प्रकार है—

b. सेवा प्रदाता ने आवष्यक पिरचालन इन्फ्रास्ट्रक्चर (डेस्कटॉप, लैपटॉप, हैंडहेल्ड टर्मिनल) माइक्रोएटीएम, पीओएस, वेब िकयोस्क, टैब, स्मार्ट फोन, पिन पैड, बायोमेट्रिक डिवाइस, प्रिंटर आदि को खरीद लिया है। तथा बैंक से निपटान खाते के लिए ओवरड्राफ्ट सीमा प्राप्त करने के लिए सवंधि जमा की व्यवस्था की है। सेवा प्रदाता ने ग्राहक सेवा को लगातार सुधारने के लिए अतिरिक्त निवेश करने का उपक्रम किया है जोिक समय-समय पर व्यवसाय और अनुभव की और आवश्यकतानुसार होगा।

2. अवधि –

यह अनुबंध प्रस्तावना में बताई गई प्रभावी तिथि पर शुरू होगा और बारह(12)महीने की अविध या पुलिस सत्यापन वैधता अविध जो भी पहले हो जाये। इस के लिये लागू रहेगा अविध के अंत में, समझौते का नवीनीकरण स्वचालित रूप से किया जाएगा। एक समय में बारह (12) महीने की आगे की अविध, बारह माह या पुलिस सत्यापन की वैधता अविध बैक ब्रांच द्वारा संतुष्टिपूर्ण संचालन का समर्थन तथा बीसीए द्वारा दिये गये जोखिम बीमाकृत राषि जो कि लेन देन के राषि मात्रा पर आधारित गारण्टी के रूप में होगी जब तक कि अविध के अंत में या जब तक स्पष्ट रूप से नवीनीकृत नहीं किया जाता है और जब तक किसी भी कारण से समाप्त न किया गया हो जैसा कि धारा 13 के तहत कहा गया है।

3. सेवा प्रदाता की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां-

सेवा प्रदाता बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार दायित्वों से बाध्य होगा। बीसी सेवाओं की सीमा और संबंधित आवश्यकताएं समय-समय पर जारी बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधनों के अधीन होंगी। बीसीए के रूप में सेवा प्रदाता की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां में निम्नलिखित निर्देष शामिल होगें—

- a. बीसीए बीसी सेवाओं को बीसी आउटलेट से पूरा करेगा।
- b. बीसी आउटलेट में बैंक ग्राहकों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त जगह के साथ बुनियादी ढांचा होगा।
- c. बी०सी०ए०, किराए, आधारभूत संरचना, उपकरण, बिजली शुल्क, इंटरनेट से संबंधित लागत शुल्क, यात्रा व्यय आदि कंपनी इनमें से किसी भी लागत को वहन करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगी और न ही वहन करेगा इस संबंध में सेवा प्रदाता द्वारा किए गए किसी भी ऋण / दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।
- d. बीसी आउटलेट पीएमजेडीवाई और बैंक की अन्य योजनाओं के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन करेगा, के लिए उदाहरण के लिए स्थानीय भाषा में साइनबोर्ड जैसी सूचना का प्रदर्शन, कंपनी संपर्क विवरण,बैंक के उत्पादों और नीतियों के बारे में जानकारी आदि।
- e. बीसी आउटलेट के संचालन के अलावा, बीसीए बैंक के ग्राहकों की सेवा संबंधित समय—समय पर पड़ोसी गाँव/वार्ड मे ग्राहकों की सेवा के लिए भी दौरा करेगा।
- f. बीसीए पीएमजेडीवाई के तहत और इस तरह की अन्य योजनाओं के रूप में बैंक द्वारा परिभाषित सेवाएं समय -समय पर प्रदान करेगा।
- g. बीसीए बैंक के ग्राहकों/सषक्त ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करेगा। व्यापार नैतिकता, मूल्य प्रणाली, डेटा की गोपनीयता, सूचना की सुरक्षा और बैंक की प्रतिष्ठा और कंपनी का ध्यान रखेगा।
- h. बीसीए ग्राहकों को लिंग, जाति, पंथ धर्म, क्षेत्र, आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सेवाएं प्रदान करेगा।
- i. बीसीए किसी भी सेवा के लिए ग्राहकों से किसी भी तरह की धनराशि को स्वीकार/मांग नहीं करेगा जो बैंक द्वारा निर्धारित नहीं है।
- j. एक बार बीसीए की तरह काम करते हुए किसी भी परिस्थिति में स्वयं या अपने परिवार के माध्यम से पैसे उधार देने या किसी अन्य संस्था के एंजेंट को राषि देने का व्यवसाय नहीं करेगा।
- k. बीसीए किसी भी जोड़-तोड़ वाले लेनदेन में शामिल नहीं होगा, या तो स्वयं या दूसरों के साथ मिलकर सभी लेनदेन आवश्यक रूप से बीसीए, की उपस्थिति में और ग्राहक प्रमाणीकरण के साथ ग्राहक की उपस्थिति और निर्दिष्ट बीसी मशीन/डिवाइस के माध्यम से रूट किया जाना चाहिए इसके अतिरिक्त, सभी नकद लेनदेन (नकद जमा, निकासी, स्थानांतरण, भुगतान आदि से संबंधित लेनदेन) नामित बीसी मशीन / डिवाइस के माध्यम से ही किए जायेंगे।

। फंड प्रबंधन

बी०सी०ए०, ग्राहक लेनदेन के लिए पर्याप्त धनराषि बनाए रखेगौ। बीसीए के योजना होगी कि ग्राहक की निकासी के लिए पर्याप्त नकदी के लिए दैनिक आधार पर और बीसीए द्वारा पर्याप्त संतुलन ग्राहक नकद जमा के लिए निपटान खाता, विशेष रूप से त्योहारों या संवितरण जैसे आयोजनो में ग्राहक की जरूरतो व लाभ को ध्यान में रखना। बीसीए किसी भी शुद्ध धनराषि (कैष इन हैण्ड/CIH) को बैंक शाखा में समय पर जमा करेगा और अप-टू-डेट शेष राशि बनाए रखेगा। बीसीए, बैंक को आवश्यक दस्तावेजों के साथ, संवितरण के लिए बीसीए ,को प्रदान की गयी अवितरित धनराषि को निर्दिष्ट अविध के भीतर शाखा को वापस करना होगा।

- m.बीसीए बीसी संचालन के लिए आवश्यक सभी लेनदेन का रिकॉर्ड बनाए रखेगा। बैंक या कंपनी द्वारा समय-समय पर संचालन के अनुपालन ऑडिट करने के लिए आवश्यक सभी रिकॉर्ड (किसी भी दस्तावेज, कार्ड, पासबुक, या ग्राहकों से लिए गए किसी भी दस्तावेज, लेनदेन लॉगिंग रिजस्टर सिहत) के उत्पादन में बीसीए पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।
- n. बीसीए ग्राहक अनुभव बढ़ाने, ग्राहक लेनदेन बढ़ाने और इस तरह उच्च कमीशन अर्जित करने के लिए बीसी आउटलेट पर पूंजी निवेश करेगा। बीसीए बैंक द्वारा आवश्यक होने पर लेनदेन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे में निवेश करेगा।
- o. बीसीए, यह समझता है और सहमत है कि उसके द्वारा कमीशन के संदर्भ में आय नियमित रूप से किए जाने वाले काम की न्यूनतम सीमा की आवश्यकता होती है बैंक / कंपनी इन सीमा रेखाओं को समय—समय पर प्रकाशित करता है। बीसीए को कमीशन का भुगतान बैक द्वारा कम्पनी के कमीषन के भुगतान के अधीन है।
- p. बीसीए केवल एक ही बैंक का प्रतिनिधित्व करेगा व सेवा प्रदान करेगा, । बीसीए ग्राहकों के लिए उनकी बैकिंग जररूते, बैकिंग योजनाओं को लोकप्रिय बनाने सिहत सभी आवश्यक भूमिकाएँ निभाएगा, इस क्षेत्र के बारे में जानकारी अपडेट करना, बीसी सर्विसेज को पूरा करना, जरूरत पड़ने पर सेवाओं की समय की योजना बनाना और कमीषन और ग्राहक वफादारी को अधिकतम करने के लिए स्थानों का दौरा करना। बीसीए को बैंक द्वारा निर्देशित ई-मार्ट / इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सिहत अन्य संबंधित लेनदेन को पूरा करने के लिए तैयार किया जाएगा।
- q. बीसीए ग्राहक संतुष्टि, परिचालन विश्वास, पारदर्शिता और पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास करेगा और दायित्वों का पालन करेगा।
- r. बैंक और कंपनी के अधिकारियों द्वारा बुलाए जाने पर बीसीए अपनी लागत पर बैठकों में भाग लेगा।
- ड. बीसीए संचालन के अनुपालन के उच्च मानकों को बनाए रखेगा कोर बैंकिंग से मुद्रित रसीद उत्पन्न करने वाली मशीन (माइक्रोएटीएम: कियोस्क/टैब/टर्मिनल-एचएचडी) पर ऑनलाइन किए गए पारदर्शी लेनदेन। ग्राहक के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान के साथ लेनदेन को निर्दिष्ट रजिस्टर में लॉग इन किया जाएगा। ग्राहक को बैंक स्टेशनरी सिहत किसी भी प्रकार की कोई मैनुअल/हस्तिलिखित रसीद नहीं दी जाएगी। बीसीए द्वारा नकद जमा/निकासी के लिए किसी भी बैंक स्टेशनरी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। पासबुक का कोई मैनुअल अपडेट नहीं किया जा सकता है। बीसीए द्वारा किसी भी ग्राहक को कोई सावधि/आरडी/बांड/फंड प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा सकता है। बीसीए को ग्राहक के लिए उचित सिस्टम जनरेटेड रसीद के साथ ऑनलाइन लेनदेन स्निश्चित करके बैंकिंग प्रणाली में ग्राहक के विश्वास की रक्षा करनी चाहिए।
- t. बीसीए एक बार बीसीए के रूप में सूचीबद्ध होने के बाद, िकसी भी पिरिस्थिति में स्वयं या अपने पिरवार के माध्यम से धन उधार देने के लिए धन उधार या धन दलाली या िकसी अन्य संस्थान के एजेंट का व्यवसाय नहीं करेगा। साथ ही, बीसीए को आरबीआई के नियमों के अनुसार िकसी अन्य बैंक/एग्रीगेटर्स/वितरक के लिए एजेंट के रूप में काम करने की अनुमित नहीं है।
- u. बीसीए संचालन की बुनियादी स्वच्छता बनाए रखेगा किसी भी बैंक ग्राहक से बैंक शाखा में जमा करने या कोई बैंक साधन (ड्राफ्ट / आरडी / एफडी आदि) बनाने के लिए नकद ऑफ़लाइन स्वीकार नहीं करेगा। बैंक के कोर सिस्टम से आने वाली ऑनलाइन जनरेटिंग रसीद मशीन पर लेनदेन करके ही पैसा लिया जा सकता है।
- v. बीसीए केवल ऑनलाइन लेनदेन की सीमा के भीतर ग्राहक नकद स्वीकार करेगा; सीमा समय-समय पर बैंक द्वारा निर्दिष्ट की जाती है।

- w.बीसीए उंगलियों के निशान सिहत ग्राहक के व्यक्तिगत डेटा की रक्षा करके ईमानदारी और अखंडता के उच्च मानकों को दिखाएगा। वह इस जानकारी का उपयोग सीधे ग्राहक के खातों से धन का दुरुपयोग करने के लिए या किसी वर्तमान या पूर्व बैंक स्टाफ के साथ मिलीभगत से नहीं करेगा।
- x. जब भी अंगूठे का निशान लिया जाएगा तो बीसीए हमेशा ग्राहक को समझाएगा। किसी भी परिस्थिति में,बीसीए मुद्रित रसीद दिखाए बिना बार-बार फिंगर प्रिंट नहीं लेगा,जिसमें पिछले लेनदेन में त्रुटि बताई गई है।
- y. बीसीए फील्ड समन्वयक या बैंक कर्मचारियों के दौरे के दौरान सभी रिकॉर्ड जैसे रजिस्टर, एटीएम कार्ड, पासबुक, नामांकन फॉर्म आदि सिहत किसी भी ग्राहक के दस्तावेज अपने स्वयं के बैंक खाते को बनाए रखेगा और संचालन पर लेखा परीक्षा/अनुपालन जांच में पूरा सहयोग करेगा।
- z. बीसीए समझता है कि बैंकिंग या परिचालन अनुपालन में ग्राहक के संचालन या विश्वास में कोई उल्लंघन पाया जाता है, उसके खिलाफ कंपनी/बैंक द्वारा कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी।
- aa. बीसीए किसी भी समय ग्राहकों/बैंक अधिकारियों/कंपनी के अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा ।
- bb. बीसीए सभी ग्राहक डेटा, वितीय, वाणिज्यिक, तकनीकी और/या कंपनी और/या बैंक से संबंधित सभी मालिकाना जानकारी रखेगा जो बीसीए को या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप में या बीसीए को प्रकट की गई कोई अन्य जानकारी ("गोपनीय जानकारी" ") कड़ाई से गोपनीय के रूप में। BCA ऐसी गोपनीय जानकारी का उपयोग केवल इस अनुबंध के अनुसार अधिकृत उद्देश्य के लिए करेगा। सभी ग्राहक डेटा (केवाईसी, लेनदेन आदि) को गोपनीय माना जाता है।
- CC. बीसीए किसी भी परिचालन के किसी भी असामान्य परिणाम के बारे में कंपनी या बैंक को तुरंत सूचित करेगा और ऐसी स्थिति का लाभ नहीं उठाएगा। बीसीए अपने कमीशन को बढ़ाने के लिए विभाजन, राउंड रॉबिन रूटिंग, जीरो बैलेंस खातों पर आगे और पीछे की आवाजाही, और अन्य प्रकार के समायोजन लेनदेन जैसे संदिग्ध/धोखाधडी प्रथाओं का सहारा नहीं लेगा।
- dd. बीसीए कंपनी को महीने के लिए बीसीए लेनदेन/संचालन के लिए बैंक द्वारा गणना की गई कमीशन की राशि पर विचार करने के लिए अधिकृत करता है क्योंकि महीने के लिए कंपनी पर बीसीए द्वारा चालान की गई कमीशन राशि। बीसीए सहमत है कि कंपनी उचित करों की कटौती के बाद प्रस्तावना में बताए अनुसार कमीशन के लिए बीसीए बैंक खाते में कमीशन राशि भेज देगी।
- ee. बीसीए एक उद्यमी है, चाहे वह किसी अन्य व्यवसाय के साथ हो या उसके बिना, और कर नियोजन, बीमा (स्वास्थ्य/जीवन/बीसी आउटलेट/उपकरण) आदि के लिए जिम्मेदार है।
- ff. यदि किसी निश्चित समय अविध में न्यूनतम सेवा स्तरों को पूरा करने में विफलताओं की संख्या बैंक द्वारा निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाती है, तो बीसीए स्वचालित रूप से पैनल से सेवानिवृत्त होने का वचन देता है।
- gg. जी बीसीए कंपनी और/या बैंक को बीसीए के बचत बैंक खाते तक पहुंचने के लिए अधिकृत करता है। बीसीए एतद्द्वारा बीसीए और बीसीए के तलाशी/जब्ती घर के नाम पर संपत्तियों को विनियोजित करने की सहमित देता है यदि धोखाधड़ी करने का संदेह या धोखाधड़ी का दोषी पाया जाता है, बशर्ते कंपनी और/या बैंक कानून की प्रक्रिया का पालन करें।

4. कम्पनी की भूमिकाएं और जिम्मेदाारिया-

कंपनी की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में निम्नलिखित बिन्दु शामिल होंगे:

a. कंपनी सेवा प्रदाता को डेस्कटॉप, लैपटॉप, हैंडहेल्ड जैसे उपकरणों पर प्रशिक्षण प्रदान करेगी टर्मिनल,माइक्रोएटीएम, पीओएस, वेब िकयोस्क, टैब, स्मार्ट फोन, पिन पैड, बायोमेट्रिक डिवाइस, प्रिंटर; संचालन पर जैसे िक संदेश, जमा और धन की निकासी, मिनी स्टेटमेंट, विवाद निपटान, शिकायत पंजीकरण, प्रेषण, आधार आधारित संचालन, स्मार्टकार्ड और RuPay कार्ड आधारित बैंकिंग, माइक्रो बीमा, पेंशन भुगतान, ऋण वसूली, बिल भुगतान और क्रेडिट लीड जनरेषन और प्रासंगिक पर बैंक के उत्पादों और सेवाओं यह प्रशिक्षण छोटी अविध के लिए होगा और इसे

- आसान तरीके से लागू किया जाएगा- जोकि ढंग से समझ आने वाला होगा प्रशिक्षण पूरा होने पर, सेवा प्रदाता संचालन बैंक की नीतियां और व्यवहार प्रर आधारित करेगा।
- b. कंपनी सेवा प्रदाता को बैंक के नए उत्पादों और सेवाओं पर प्रशिक्षण प्रदान करेगी जब वे बैंक द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, सेवा प्रदाता परिचालन स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है और कंपनी के रिमोट ऑपरेशंस सेंटर से इंटरनेट/फोन से किसी भी समय किसी भी तकनीकी ऑपरेशन को फिर से सीख सकता है
- c. कंपनी सेवा प्रदाता को तकनीकी सहायता प्रदान करेगी।
- d. कंपनी थ्रेसहोल्ड, (सीमा रेखाये) संचालन की स्थिति, पर एमआईएस रिपोर्ट को अद्यतन करने का हर संभव प्रयास करेगी। ग्राहकों द्वारा बैंक / कंपनी को दी गई कोई भी शिकायत, संचालन में अपवाद और कोई भी क्षेत्र का बैंक या कम्पनी के अनुपालन का अवलोकन की टिप्पणियों को कम्पनी के सेवा प्रदाता को सूचित किया जायेगा।

 (ROC) दूरस्थ संचालन केंद्र से सेवा प्रदाता को बैक या कंपनी के अनुपालन का अवलोकन की टिप्पणियों को कंपनी को सूचित किया जायेगा।
- e. कंपनी सभी स्थानों पर बीसी सेवाओं की निरंतरता सुनिश्वित करेगी।
- f. कंपनी फॉर्म 16A (एक सेवा के लिए लागू कर का विवरण)जैसी वैधानिक जानकारी सेवा प्रदाता को प्रदान करेगी।
- g. कंपनी बैंक शाखा, क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रधान कार्यालय और बैंक की आईटी टीमों के साथ समन्वय करेगी ग्राहक शिकायत निवारण और सुलह, और /या किसी अन्य तकनीकी / धोखाधड़ी से संबंधित मुद्दों के लिए।

5. विवेचन-

- a सेवा प्रदाता को हर महीने, या बैंक द्वारा निर्धारित अंतराल पर कमीषन का भुगतान किया जाएगा इस समझौते के तहत प्रदान की गई बीसी सेवाएं के लिये बीसी कमीषन की गणना निर्धारित बैंक और बीसी बिजनेस मानदंडों के आधार पर की जाएगी (सामान्य रूप) से कंमीषन बैंक द्वारा समय-समय पर परिभाषित की गई केवल न्यूनतम सेवा (सीमा) को पूरा करने पर ही मिलेगा।
- b. बीसी सेवाओं के लिए वर्तमान लागू कमीशन अनुबंध A बीसी सेवाओं के लिए अनुबंध" में सूचीबद्ध है। बैंक समय-समय पर अनुबंध या बीसी सेवाओं की प्रकृति की दर को बदलने का अधिकार रखता है। बैंक या कंपनी द्वारा अधिसूचित नवीनतम आयोग को उपयुक्त संशोधन माना जाएगा जहाँ कहीं भी लागू हो, अनुबंध एक, और इस समझौते में संशोधन की आवश्यकता के बिना प्रभावी होगा।
- c. सर्विस प्रोवाइडर इस बात से सहमत है कि बीसी सर्विसेज एक बिजनेस ऑपरेशन है जहां सर्विस प्रोवाइडर नुकसान उठा सकता है यदि वह निम्न कार्यो में विफल रहता है, (i) ग्राहक आधार का निर्माण / विस्तार; (ii) ग्राहक में सुधार करना संबंधों; (iii) धारा 3 के तहत पहले से बताए गए अनुसार कब और कहाँ आवश्यक सेवाएं प्रदान करें; या कोई अन्य कारण जो अपर्याप्त अनुबंध का परिणाम होगा।
- d दोनों पार्टियों द्वारा यह समझा और सहमित दी जाती है कि एक ऑपरेशन के लिए कमीशन की दर बैंक द्वारा तय की जाती है बैंक समय-समय पर परिवर्तन से गुजर सकता हैं।
- e. सेवा प्रदाता किसी भी अनिधकृत के लिए भुगतान का दावा नहीं कंपनी और न ही कंपनी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
- f. सेवा प्रदाता द्वारा लेनदेन/संचालन और किसी भी संबद्ध हानि को सेवा प्रदाता द्वारा वहन किया जाएगा। बैंक द्वारा सत्यापित लेनदेन को मान्य किए जाने के बाद सेवा प्रदाता को प्राप्त होने वाला कुल कमीशन लागू होगा। बैंक आम तौर पर मासिक आधार पर आयोग की कमीषन की गणना करता है। जैसा कि कंपनी के प्रस्तावना में कहा गया है, कि कमीशन बीसीए के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा कम्पनी बैंक से भुगतान प्राप्त करती है।
- g. सभी लागू कर/शुल्क और अन्य शुल्क जो समय-समय पर लगाए जा सकते हैं, बीसीए द्वारा वहन किया जाएगा और बैंक और कंपनी उत्तरदायी नहीं होंगे।
- h. कंपनी सेवा प्रदाता को किए गए भुगतानों से स्रोत पर कोई भी लागू कर काट लेगी। वित्तीय लेनदेन और कटौती का विवरण जब भी आवष्यकता होगी कंपनी द्वारा सेवा प्रदाता को उपलब्ध कराई जाएगी।

6. पार्टियों के बीच संबंध-

कंपनी और सेवा प्रदाता के बीच का संबंध मुख्य-से-प्रमुख आधार पर होता है, बैंक के साथ प्रमुख के रूप में कमीशन एजेंट-से-कमीशन सब-एजेंट का सीमित आवेदन बीसी सेवाओं का उद्देश्य होता है कंपनी द्वारा बीसीए के रूप में सेवा प्रदाता का मनोनयन बीसी सर्विसेस से सम्बन्धित व आधारित है। कंपनी और सेवा प्रदाता का मनोनयन किसी भी प्रकार के नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के बीच का संबंध नहीं है न तो वर्तमान न ही भविष्य में कंपनी और सेवा प्रदाता, नतीजतन, सेवा प्रदाता है वर्तमान या भविष्य में कंपनी से किसी भी कर्मचारी लाभ के लिए पात्र नहीं है।

7. बीमा-

सेवा प्रदाता को दायित्वो को पूरा करने के लिए अपने खर्चे पर पर्याप्त बीमाकृत राषि को बनाए रखना होगा। इस बीमाकृत राषि नवीनीकरण के समय निर्दिष्ट कर सकते है।

8. गारन्टी-

- a. सेवा प्रदाता , गारंटर की पहचान करेगा जो गारटंर अनुबन्ध निष्पादित करेगा, गारटंर ,सेवा प्रदाता के दायित्वों की गारंटी के लिए सहमत होगा और इस अनुबन्ध के दायरे में सेवा प्रदाता के अधिनियम और /या चूक के कारण मौद्रिक देनदारियों / नुकसान को सुरक्षित करने के लिए जोकि कम्पनी के खिलाफ उठाए गए।
- b. यदि अनुबन्ध किसी भी कारणवष समाप्त होता है तो कम्पनी द्वारा देय मौद्रिक देन दारियों / हर्जाने का भुगतान करने के लिए देनदारियों / हर्जाना हासिल करने वाली गारन्टी को तुरन्त लागू किया जा सकता है।

9. सेवा प्रदाता द्वारा कानूनों का अनुपालन-

व्यवसाय का स्वामी होने वाला सेवा प्रदाता दुकान की तरह आवश्यक अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान पंजीकरण, जीएसटी पंजीकरण, पेशेवर कर पंजीकरण, आयकर दाखिल और अन्य लागू कानूनों का अनुपालन करेगा।

10. हानि पूति हर्जाना-

सेवा प्रदाता बीसी सेवाये प्रदान करते समय कंपनी और बैंक को किसी भी नुकसान या नुकसान से क्षतिपूर्ति, सेवा प्रदाता द्वारा व्यक्तिगत चोट या संपत्ति की क्षति के लिए तीसरे पक्ष द्वारा क्षति और/या दावा लापरवाही या धोखाधड़ी अधिनियम, चूक या इच्छाधारी दुराचार करार से रक्षा और प्रतिरक्षा करेगा। अपने अन्य अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, कंपनी को बकाया या नुकसान से निपटने या समायोजित करने का अधिकार सुरक्षित है सेवा प्रदाता द्वारा इस अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन या गैर-अनुपालन के कारण, सेवा प्रदाता द्वारा कंपनी के पास जमाराशि को उपयोग में लाकर नुकसान को समायोजित करेगा।

11. दायित्व की सीमा-

इस समझौते में अन्यत्र कहीं भी विरोध के होते हुए भी न तो पार्टी किसी के लिए उत्तरदायी होगी इस समझौते के संबंध में अप्रत्यक्ष, आकस्मिक, विशेष या परिणामी क्षति, या अनुबंध आधारित टोट, वारंटी या अन्य कानूनी सिद्धांत पर आधारित हो, और इस तरह के नुकसान की सूचना दी गयी हो या नही।

12.निषेधाज्ञा राहत-

इस समझौते के तहत बीसीए के रूप में सेवा प्रदाता के दायित्व एक अद्वितीय चिरित्र के हैं जो उन्हें विशेष मूल्य देता है। सेवा प्रदाता द्वारा ऐसे किसी भी दायित्व के उल्लंघन का पिरणाम अपूरणीय होगा। और कंपनी के लिए निरंतर क्षिति जिसके लिए कानून में, और की स्थिति में कोई पर्याप्त उपाय नहीं होगा इस तरह के उल्लंघन के कारण, कंपनी विशिष्ट प्रदर्शन के लिए निषेधात्मक राहत और /या आदेष देने की हकदार होगी, और इस तरह के अन्य और आगे राहत उचित हो सकती है (यदि उपयुक्त हो तो मौद्रिक क्षिति सहित)।

13. अनुबन्ध की समाप्ति-

इस अनुबन्ध को सात (7) दिन पूर्व लिखित नोटिस प्रदान करके दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमित से समास किया जा सकता है। कंपनी तत्काल प्रभाव से अनुबन्ध को समास कर सकती है और सेवा प्रदाता के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई कर सकती है, क्षतिपूर्ति की वसूली सहित, निम्नलिखित कार्य/चूक के लिए उचित कानूनी कार्यवाही कर सकती है।

- a. बैंकिंग प्रणाली के मूल भरोसे/शर्तीं/मूल्यों/गोपनीयता/स्रक्षा का उल्लंघन।
- b. बैंक और कंपनी के मानदंडों / नीतियों का उल्लंघन।
- c धोखाधड़ी, बेईमानी, कदाचार, नकदी का दुरुपयोग आदि का निर्धारण। सेवा प्रदाताओं द्वारा चरित्र घोषणाओं, स्व-घोषणाओं/प्रमाणपत्रों में कोई भी गलत प्रतिनिधित्व।
- d.इस अनुबंध में प्रवेश करने के लिए या इस अनुबंध की अवधि के दौरान किए गए चरित्र घोषणाओं, स्व-घोषणाओं/प्रमाणपत्रों में सेवा प्रदाता द्वारा कोई भी गलत प्रतिनिधित्व।
- e. इस समझौते के किसी भी प्रावधान का भौतिक उल्लंघन।
- f. किसी भी कानून का उल्लंघन।
- g. योग्यता पर अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थता (जैसे IIBF या किसी अन्य प्रमाण पत्र) या प्रतिबद्ध न्यूनतम निवेश। कंपनी अपने विवेकाधिकार पर, इस अनुबंध को सात (7) दिन की पूर्व सूचना देकर समाप्त कर सकती है सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस प्रोवाइडर को श्रेसहोल्ड (सीमा रेखा)कमीशन लगातार तीन (3) महीनों के लिए न मिलने की स्थिति में जबिक अन्य सभी मापदंडों जैसे उपकरण और समर्थन का कार्य करना सामान्य रहा हो। इसके अलावा, यह अनुबंध बैंक द्वारा निर्धारित की गई नोटिस अविध के साथ स्वतः समाप्त हो जाएगा, यदि बैंक, बैक और कंपनी के बीच निष्पादित बैंक अनुबन्ध को समाप्त कर देता है या ऐसे मामले में बैंक ने बी०सी० लोकेषन / बी०सी० पंवाट वापस ले लिया। अनुबन्ध समाप्ति की स्थिति में, बैक को यह सुनिष्चित करने के बाद की सभी वितीय लेखांकन विधिवत पूरा हो गया है। तब सेवा प्रदाता से सम्बन्धित सभी संम्पत्तियों को वापस करने के लिए सहमत होना है। गोपनीयता, दायित्व, क्षतिपूर्ति और किसी भी अन्य प्रावधान जो इसकी प्रकृति द्वारा इस अनुबंध के समाप्त होने के बाद भी यह समझौता वैध रहेगा।

14. गैर हस्तांतरणीय अनुबंध—

सेवा प्रदाता इस बात से सहमत है और पुष्टि करता है कि इस अनुबन्घ के तहत बी०सी०ए० के रूप में सेवा प्रदाता की भूमिका के लिए किसी अन्य व्यक्ति को कार्य भार सभांलने का प्रावाधान नहीं होगा, बी०सी०ए० को बायोमेट्रीक प्रमाणन की आवष्यकता होती है और डाटा की गोपनीयता भी बनाये रखना होता है।

15. विवाद समाधान और अधिकार क्षेत्र-

इस समझौते के तहत पार्टियों के बीच उत्पन्न किसी भी विवाद को हल करने के लिए पार्टियां हर संभव प्रयास करेंगी व एक दूसरे को इस तरह के संचार के दस (10) कार्य दिवसों के भीतर सीधे अनौपचारिक बातचीत द्वारा सौहार्दपूर्ण रूप से या तो पार्टी मध्यस्थता केंद्र - कर्नाटक (घरेलू और) अतर्राष्ट्रीय मे इस तरह विवाद का उल्लेख कर सकती है जेकि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार है। मध्यस्थता की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। भारत के कानून इस समझौते को नियंत्रित करेंगे और इस अनुबन्ध से उत्पन्न किसी विवाद पर बैंगलोर की अदालतों को विशेष अधिकार क्षेत्र होगा।

16. पूर्ण और एक मात्र समझौता-

यह अनुबन्ध पार्टियों के बीच पूर्ण और एक मात्र आपसी समझ /सामंजस्य और समझौते का गठन करता है जो विषय वस्तु के संबंध में करने के लिए सभी पूर्व आपसी समझ और समझौतों, चाहे वह लिखित हो या मौखिक।

17. शीर्षकों-

इस समझौते में शीर्षक केवल सुविधा के लिए हैं और इस समझौते की व्याख्या को प्रभावित नहीं करते हैं। सेवा प्रदाता इस बात से सहमत है कि उपरोक्त सभी नियम और शर्तें उसे / उसे बताई गई हैं सेवा प्रदाता की स्थानीय भाषा और सेवा प्रदाता एक ही समझ चुके हैं। इसमें कोई भी विवाद संबंध केवल इस केवल अंग्रेजी संस्करण समझौते से हो सकता है। विटनेस में, पार्टियों ने इस समझौते को नीचे दिए अनुसार निष्पादित करने का कारण बना है तथा प्रस्तावना में प्रभावी तिथि के अनुसार प्रभावी है।

इंटेग्रा माइक्रो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	सेवा प्रदाता
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम:	नाम:
पदनाम:	पदनाम:
	गवाह:
	हस्ताक्षर
	नाम:
	पता

अनुलग्नक-ए (बीसी एजेंट सेवा शुल्क)